माननीय मुख्यमंत्री, बिहार-सह-अध्यक्ष, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन की अध्यक्षता में दिनांक-14.09.2019 को 11:00 बजे पूर्वाह्न से 4 देशरत्न मार्ग, पटना स्थित 'संवाद' में बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की सम्पन्न षष्ठम् बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः- पंजी के अनुसार

कार्यावली संख्या-01

बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की पंचम बैठक दिनांक-16.11.2018(प्रथम चरण), दिनांक-04.12.2018(द्वितीय चरण) एवं दिनांक-13.12.2018(तृतीय चरण) को सम्पन्न बैठकों एवं दिनांक-04.02.2019 को सम्पन्न बिहार विकास मिशन की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि।

निर्णयः- मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन को निदेशित किया गया कि उक्त बैठकों में दिए गए निदेश एवं दिनांक-14.09.2019 की बैठक में दिए गए निदेश का निदेशवार, अनुपालन -सह- प्रगति प्रतिवेदन शासी निकाय की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

कार्यावली संख्या-02

बिहार विकास मिशन के कार्यकारी समिति की दिनांक-18.04.2019 को सम्पन्न सप्तम् बैठक की कार्यवाही अवलोकनार्थ/ अनुमोदनार्थ संलग्न।

निर्णयः- निदेशित किया गया कि शासी निकाय की आगामी बैठक में पुनः इस कार्यावली को प्रस्तुत किया जाय।

कार्यावली संख्या-03

बिहार विकास मिशन के शासी निकाय के सम्पन्न पंचम बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत हैः-

(क) शासी निकाय की सम्पन्न पंचम बैठक (प्रथम चरण) की कार्यवाही की कार्यावली संख्या-17	**अनुपालन**
बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की दिनांक-12.09.2017 को सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि "संविदा पर नियोजन कम से कम 3 वर्ष हो एवं प्रत्येक 11 माह बाद नियंत्री पदाधिकारी के मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर उनके कार्यो की समीक्षा की जाय। समीक्षोपरांत संतोषप्रद कार्य एवं आवश्यकतानुसार नये सिरे से एकरारनामा निष्पादित किया जाय"। उक्त आदेश का अनुपालन करते हुए जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र हेतु संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों सहित विभिन्न विभागों एवं बिहार विकास मिशन में पदस्थापित कर्मियों के मामले में कारवाई की जा रही है। वर्तमान में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में संविदा पर नियोजित अधिकांश कर्मियों सहित अन्य कर्मियों की सेवा अवधि करीब 02 वर्ष 03 माह हो चुकी है। अतः उन कर्मियों की उपयोगिता/ आवश्यकता के मद्देनजर उनकी सेवा और 02 (दो) वर्ष अर्थात कुल 05 (पाँच) वर्ष तक जारी रखने/ नये सिरे से नियोजन करने के बिन्दु पर शासी निकाय का मार्गदर्शन प्रार्थित है। निर्णय :- निदेशित किया गया कि इस कार्यावली में उपस्थापित प्रस्ताव, कार्यकारी समिति के विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाय।	दिनांक-18.04.2019 को सम्पन्न कार्यकारी समिति की बैठक में बिहार विकास मिशन में नियोजित कर्मियों की उपयोगिता/आवश्यकता के मद्देनजर उनकी सेवा और 02(दो) वर्ष अर्थात कुल 05(पाँच) वर्ष तक जारी रखने/नये सिरे से एकरारनामा करने के बिन्दु पर स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कर्मियों के कार्यो की प्रत्येक 11 माह बाद नियंत्री पदाधिकारी द्वारा समीक्षा की जायेगी एवं उनके मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुरूप सेवा जारी रखने/ नये सिरे से एकरारमाना करने के बिन्दु पर आवश्यकता अनुसार बिहार विकास मिशन द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तदनुरूप बिहार विकास मिशन द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या-818, दिनांक-28.05.2019 शासी निकाय के अवलोकनार्थ। **निर्णयः- निदेशित किया गया कि शासी निकाय की आगामी बैठक में पुनः इस कार्यावली को प्रस्तुत किया जाय।**